

प्राचार्य का कार्यालय, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय ।

ज्ञापांक-

/लहेरियासराय,दिनांक-

वित्तीय वर्ष 2026-27 के अन्तर्गत निविदा का नियम एवं शर्तें

1-दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय के लिये वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु विभिन्न विभागों के लिए विविध सामग्री, स्टेशनरी, मशीनों की मरम्मत, लकड़ी एवं स्टील उपस्करों की मरम्मत वाईडिंग एवं प्रीटिंग, दवा किट आदि के कय/कार्य/मरम्मत के लिये दर अनुमोदन हेतु मुहर बंद लिफाफे में बिहार वाणिज्यकर में निबंधित सरकारी/गैर सरकारी निर्माता फर्म या प्राधिकृत आपूर्तिकर्ताओं से निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा निविदा आमंत्रित की जाती है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्यरत दिन मे निविदा प्रकाशन के पश्चात सम्यक् स्थापित कर सकते हैं। प्रथम प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के अन्दर निविदा/सामानों कार्यों की सूची, शर्तें एवं नियम तथा अग्रधन राशि की विवरण महाविद्यालय के Website [www.dmc.edu.in](http://www.dmc.edu.in) पर देखा जा सकता है, तथा उसे डाउनलोड कर निविदा समर्पित कर सकते हैं। साथ ही किसी भी कार्य दिवस के दिन निविदा प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों तक कार्यालय से निविदा/सामानों/कार्यों की सूची, शर्तें एवं नियम आदि आवेदन देकर निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। प्रथम निविदा प्रकाशन की तिथि से 21 वें दिन के अपराह्न 5:00 बजे तक निविदा स्वीकार्य किया जायेगा। यदि 21 वें दिन किसी प्रकार की छुट्टी रहती है, या अपरिहार्य कारण से प्राचार्य कार्यालय बंद रहता तो उसके अगले दिन डाक विभाग से 21 वें दिन को प्राप्त निविदा को ली जायेगी। उपर्युक्त दिए गए अवधि के पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के उपरांत तीन दिनों के अन्दर कय समिति के समक्ष निविदा कार्यालय अवधि में अपराह्न में खोला जायेगा, जिसमें निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं। इसके लिए अलग से सूचना नहीं दी जायेगी। बैठक में भाग नहीं लेनेवाले द्वारा किसी प्रकार की दावा मान्य नहीं होगा। बैठक की तिथि कार्यालय के सूचना पट अथवा कॉलेज के वेबसाईट पर पर देखा जा सकता है।

2-निविदा दो प्रकार की होगी। पहला-(क) तकनीकी निविदा, जिसमें मशीनों/सामानों, दवा किट की सूची, मेक, गुणवत्ता, मॉडल, स्पेशिफिकेशन, कैंटलॉग, अधिष्ठान,अधिकृत विक्रेता प्रमाण-पत्र आदि से संबंधित कागजात । दूसरा (ख) वित्तीय निविदा होगा, जिसमें सामानों/कार्यों का दर कर सहित एवं कर रहित अंकित हो को अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में दोनों निविदा पर बड़े-बड़े अक्षरों में तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा टंकित कर पुनः एक बड़े लिफाफे में भरकर सील बंद कर पी0आर0 नं0 लिखते हुए उस पर जिन सामानों का निविदा हो (कंडिका-3 के अनुसार) अलग-अलग उसका नाम अंकित कर प्राचार्य, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय-846003, के पदनाम से निबंधित डाक/स्पीडपोस्ट द्वारा भेजी जाय।(तकनिकि निविदा एवं वित्तीय निविदा के मुहरबंद लिफाफे में Hard copy एवं Soft Copy(CD/DVD/Pendrive) संलग्न करना अनिवार्य होगा )।

3-निविदा दाताओं को निविदा के साथ निम्नलिखित सामानों/कार्यों के सामने अंकित अग्रधन के रूप में अंकित राशि किसी भी राष्ट्रीय बैंक/डाक घर का बैंक ड्राफ्ट अथवा एन0एस0सी0 (जिसका सत्यापन अंकित स्थानीय स्तर से हो सके) जो प्राचार्य, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय के पदनाम से भुगतये हो संलग्न करना अनिवार्य है। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के फलस्वरूप असफल निविदादाताओं का अग्रधन की राशि नियमानुसार वापस कर दी जायेगी । सफल निविदादाताओं का अग्रधन की राशि सामानों के वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात् ही वापस किया जायेगा ।

1- उपस्कर-लकड़ी एवं स्टील मरम्मत, विविध सामग्री ,स्टेशनरी, दवा किट, मशीन उपकरणों की मरम्मत इत्यादि की आपूर्ति/मरम्मत के लिए अग्रधन की राशि -50,000/-

4- कंडिका 3(तीन) के क0 सं0 I में अंकित सामानों/कार्यों/मरम्मत के लिए अलग-अलग निविदा करना होगा तथा प्रत्येक टंकित निविदा प्रपत्र दो अलग-अलग मुहरबंद लिफाफों में होगी, जिसमें एक पर तकनीकी निविदा (लिफाफा-(क) एवं दूसरे पर वित्तीय निविदा (लिफाफा-(ख)) अंकित होगा। दोनों लिफाफों को एक तीसरे बड़े लिफाफों में मुहरबंद कर उसके उपर क0 सं0 I से संबंधित सामानों /कार्यों के निविदा, में उल्लेख करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा अस्वीकृत कर दिया जायेगा। निविदादाता को यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस संस्थान के वेबसाईट पर अंकित निविदा सूची (सामानों/कार्यों का) में अंकित विभिन्न सामानों/कार्यों जिस कमवार में टंकित है उसी क्रमानुसार सामानों/कार्यों का उल्लेख अपने तकनिकी एवं वित्तीय निविदा में सामानों का मेक, मॉडल एवं दर जी0एस0टी0 सहित एवं जी0एस0टी0 रहित अंकित करना अनिवार्य होगा।

5- नोटरी पब्लिक द्वारा फर्म को यह शपथ-पत्र समर्पित करना होगा कि उनके फर्म को काली सूची में नहीं डाला गया है अथवा काली सूची में डालने की प्रक्रिया नहीं चल रही है तथा उस पर कोई कानूनी कारवाई नहीं चल रहा है। साथ ही उनके फॉर्म का जी0एस0टी0 का भुगतान लम्बित नहीं है ।

6-तकनीकी निविदा के तहत सामानों का तकनीकी विवरण आई0एस0आई0/आई0एस0ओ0 के द्वारा प्रमाण पत्र, पेन नम्बर कार्ड, निबंधन प्रमाण-पत्र, GST निबंधन प्रमाण-पत्र की स्पष्ट छाया प्रति जो स्व अभिप्रमाणित हो संलग्न करना

*Handwritten signature*

अनिवार्य है। निविदादाताओं के निर्माता/अधिकृत विक्रेता एवं प्राधिकृत वितरक यदि है का प्रमाण-पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा। तकनीकी निविदा के प्रथम पृष्ठ पर दिये गये सामानों की सूची (इन्डेक्स) आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से निविदा सूची के कमवार तकनीकी विवरण अंकित होना चाहिए कि वे किन-किन कार्यों हेतु निविदा दे रहें हैं एवं इस निविदा में अंकित सामानों का पृष्ठ संख्या क्या है।

7- निविदा में किसी प्रकार का मात्र छुट अंकित न कर छुट सहित दर अंकित करें।

8- सभी निविदा कम्प्युटर टंकित होनी चाहिए। किसी प्रकार का काट-कुट या लीप लेपन होने पर निविदा स्वतः रद्द समझा जायेगा। सभी निविदादाता अपने-अपने निविदा में अपने एजेन्सी/फर्म का ई-मेल निश्चित रूप से अंकित करें। जिससे कि किसी भी प्रकार का सूचना ई-मेल के माध्यम से दिया जा सकें।

9- निविदा खोलने की तिथि को निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित रह सकते हैं। इसकी सूचना कॉलेज के सूचनापट एवं वेबसाइट पर देखी जा सकती है। इसके लिए अलग से कोई सूचना नहीं दी जायेगी तथा बैठक में भाग नहीं लेने वाले को बाद में किसी भी प्रकार का कोई शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार का सूचना दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय के website [www.dmc.edu.in](http://www.dmc.edu.in) अथवा नोटिस बोर्ड पर देखा जा सकता है, तथा वेबसाइट पर प्रकाशित सूची को डाउनलोड कर उसके क्रमानुसार निविदा किया जा सकता है अथवा किसी भी कार्य दिवस के दिन निविदा प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के अन्दर निविदा सूची, नियम एवं शर्तें कार्यालय में आवेदन देकर प्राप्त किया जा सकता है।

10- बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठानों या लघु उद्योग विभाग से निबंधित चालू इकाईयों, उत्पादनरत् को नियमानुसार प्राथमिकता दी जायेगी। बिहार में उद्योग ईकाई के रूप में निबंधित फर्मों को संबधित उद्योग पदाधिकारी से चालू इकाई/उत्पादनरत् का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उसकी स्पष्ट स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा, अन्यथा उनके निविदा को सामान्य निविदा समझा जायेगा।

11- सरकारी प्रावधानों/नियमों के अनुसार अग्रधन की राशि में छुट दी जा सकती है। निविदा अस्वीकृत होने की स्थिति में निविदा दाताओं को अग्रधन की राशि वापस कर दी जायेगी, जिसके लिए उन्हें निबंधित डाक टिकट लगा सेल्फ एड्रेस लिफाफा संलग्न करना होगा।

12- निविदा दाता अपने वित्तीय निविदा में सामानों का दर टैक्स सहित एवं टैक्स रहित स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे, दोनों दर अंकित नहीं रहने पर निविदा स्वतः रद्द समझी जायेगी।

13- जिन आपूर्तिकर्ता द्वारा सामानों की आपूर्ति करने में बाधा पहुँचायी जायेगी या समय पर आपूर्ति करने में वे विफल रहेंगे, उनकी अग्रधन की राशि जप्त कर ली जायेगी तथा उसे ब्लैकलिस्ट करने की कारवाई की जायेगी। किसी भी सामानों/मशीन के मरम्मत उपरांत उसका एक वर्ष का मारंटी देना अनिवार्य होगा। यदि एक वर्ष के अन्दर में मरम्मत किये गये मशीन में खराबी आती है तो आपूर्तिकर्ता को निशुल्क उस मशीन का पुनः मरम्मत करना पड़ेगा, अन्यथा उनका अग्रधन कि राशी जप्त करते हुए उन पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

14- आपूर्तिकर्ता को मानक कम्पनी का दर/डी0जी0एस0 एण्ड डी0 का दर यदि उपलब्ध हो तो रेट का उल्लेख अपने निविदा में करना होगा। सामग्री आदि का मूल्य किसी भी परिस्थिति में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सिलिंग मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही निविदादाता को इस आशय का घोषणा पत्र (नोटरी पब्लिक द्वारा) मूल रूप में देना होगा कि निविदा में अंकित दर केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सिलिंग मूल्य के अन्तर्गत है।

15- नियमानुसार जिन निविदादाताओं का तकनीकी निविदा कय समिति द्वारा स्वीकृत किया जायेगा, उन्हीं निविदादाताओं का वित्तीय निविदा खोला जायेगा। जिन निविदादाताओं का जिन सामानों/कार्यों का स्पेसिफिकेशन, गुणवत्ता आदि के आधार पर तकनीकी निविदा कय समिति द्वारा, स्वीकृत किया जायेगा, उन्हीं सामानों/कार्यों का वित्तीय तुलनात्मक विवरणी तैयार किया जायेगा, जिन सामानों/कार्यों का कय समिति द्वारा तकनीकी रूप से स्वीकृत नहीं किया जायेगा उन सामानों/कार्यों का वित्तीय तुलनात्मक विवरणी तैयार नहीं किया जायेगा। जिन निविदादाताओं का तकनीकी निविदा कय समिति द्वारा अस्वीकृत किया जायेगा उन निविदादाताओं का निविदा स्वतः रद्द समझा जायेगा तथा तकनीकी रूप से अस्वीकृत निविदादाताओं का किसी प्रकार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

16- जिन आपूर्तिकर्ता द्वारा पूर्व में कार्य असंतोषप्रद रहा हो उन आपूर्तिकर्ताओं का निविदा अस्वीकार किया जायेगा। जिन आपूर्तिकर्ताओं का कार्य पूर्व में असंतोषप्रद रहा हो, उनके द्वारा दूसरे फर्म एजेन्सी के नाम से निविदा डालने पर भी निविदा अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

21/6

17- विपत्र का भुगतान आवंटन उपलब्ध रहने के आधार पर नियमतः श्रोत पर इन्कम टैक्स, जी0एस0टी0 आदि कटौती करने के बाद CFMS/Cheque/bank draft के माध्यम से किया जायेगा।

18- भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जी0एस0टी0/अन्य नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

19- अधोहस्ताक्षरी को यह पूर्ण अधिकार होगा कि बिना कारण बताये किसी भी निविदा को रद्द अथवा अस्वीकृत कर सकता है साथ ही निविदा की तिथि में परिवर्तन कर सकते है।

20- आवश्यकतानुसार कय/आपूर्ति हेतु दर अनुमोदन के लिए किया जा रहा है, एवं निविदा में प्रकाशित सभी सामानों का कय अनिवार्य नहीं होगा।

21-किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र जिला स्तर पर माननीय दरभंगा न्यायालय एवं राज्य स्तर पर माननीय पटना उच्च न्यायालय होगा।

29/1-

प्राचार्य

दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय  
लहेरियासराय।

ज्ञापांक- 3596

/लहेरियासराय,दिनांक- 02.06.26

प्रतिलिपि:- आयुक्त दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/जिला पदाधिकारी, दरभंगा/महाप्रबंधक, जिला उद्योग ईकाई, दरभंगा/जिला जन-सर्मक पदाधिकारी, दरभंगा/अधीक्षक, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल,दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कार्यालय के लेखा शाखा, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

एक प्रति कार्यालय के सूचना पट एवं वेबसाइट- Website [www.dmc.edu.in](http://www.dmc.edu.in) पर देने हेतु

29/6/26  
प्राचार्य

दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय  
लहेरियासराय।

02/06/26